न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सपना कुमारी, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 39 / 24 **GCMS id :** 2024 / 101

1. शैलेन्द्र कुमार नागर आत्मज बालकिशन जी जाति धाकड़
2. गोलू आत्मज बालकिशन जी जाति धाकड़
3. बीना पुत्री बालकिशन जी जाति धाकड़
4. निवासीगण ग्राम गंदीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राजस्थान

– प्रार्थी

बनाम

1. अशोक कुमार जैन आत्मज बालचन्द जी जाति महाजन निवासी 1 बी 1 तिलक नगर, कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट
बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति : श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री दयाराम सेन, अभिभाषक अप्रार्थी क्रम–1

निर्णय

दिनांक : 28.08.2024

1- प्रार्थी की ओर से मूल वाद के साथ जर्ये अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र, अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत प्रदान किये जाने अस्थायी निषेधाज्ञा, पेश किया गया।

2- प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र (212 RTA) में निवेदन किया गया कि –

- प्रार्थीगण के दादा जगन्नाथ आत्मज घांसीलाल के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की ग्राम गंदीफली, तहसील लाडपुरा मे खसरा नम्बर 203, 204, 208, 308, 316, 338, 340, 550, 550 / 674, 552 कुल 10 किता की 6.45 हैक्टर आराजी स्थित है।
- प्रार्थीगण के दादा जगन्नाथ जी के तीन पुत्र छीतरलाल, बालकिशन, एवं सत्यनारायण व पुत्रियां रामप्यारी, रामजानकी बाई है। छीतरलाल जी का दिनांक 27.02.2004 को जगन्नाथ का दिनांक 16.01.2016 और बालकिशन जी का दिनांक 01.07.2016 को स्वर्गवास हो गया है। बालकिशन जी के एकमात्र वारिसान प्रार्थीगण है।
- प्रार्थीगण के दादा जगन्नाथ जी को उक्त आराजी अपने पिता घांसीलाल जी से उत्तराधिकार मे प्राप्त हुई है व घांसीलाल जी को उनके पिता से प्राप्त होने से उक्त आराजी पैतृक आराजी है जिसमे जगन्नाथ जी के साथ साथ उनके वारिसान प्रार्थीगण का भी जन्म से ही हक अधिकार एवं काबिज काश्त है।
- प्रार्थीगण के दादा ने अपने जीवनकाल मे ग्राम गंदीफली स्थित आराजी का पारिवारिक सहमति से बंटवारा कर दिया गया। उक्त पारिवारिक बंटवारे मे प्रार्थीगण के पिता बालकिशन आत्मज जगन्नाथ जी को खसरा नम्बर 203 रकबा 0.07 हैक्टर खसरा नम्बर 204 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 208 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 340 रकबा 0.24 हैक्टर कुल 4 किता रकबा 0.98 हैक्टर व खसरा नम्बर 338 रकबा 0.37 हैक्टर आराजी प्राप्त हुई।
- बाद बंटवारा प्रार्थीगण के पिता एवं प्रार्थीगण उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। यह की प्राथीगण के दादा के साथ अप्रार्थी क्रम–1 जो आडत का व्यापार करते है ने प्रार्थीगण के दादा व एवं परिवारजनों की बिना सहमति व जानकारी के उक्त आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली जिसकी हाल ही मे राजस्व रिकोर्ड मे देखने पर जानकारी हुई।
- अप्रार्थी क्रम 1 ताकतवर एवं प्रभावशाली व्यक्ति है जिसने षडयंत्र रचकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर पारिवारिक बंटवारे मे उक्त आराजी प्रार्थीगण के हिस्से मे होने के बाबजूद भी राजस्व कर्मचारियो के साथ मिलीभगत कर अपने नाम दर्ज करवा ली। जो प्रार्थीगण के विरूद्ध बेअसर है।
- प्रार्थीगण को अप्रार्थी क्रम–1 के नाम आराजी राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज होने की जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने अप्राथी क्रम–1 से राजस्व रिकोर्ड दिखाकर बात की तो अप्रार्थी

क्रम–1 पहले तो मना करने लगा बाद मे प्रार्थी गण द्वारा अपने परिवारजनो के समझ अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा वास्तविकता बताने के लिए कहा तब प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि अप्रार्थी क्रम 1 ने तथ्य छुपाकर षडयंत्र रचकर उक्त आराजी नाम दर्ज करवाई है। तथा वापस प्रार्थीगण के नाम दर्ज करवाने से इंकार कर दिया।

- यह कि प्रार्थीगण उक्त आराजी षडयंत्र रचकर अप्रार्थी क्रम 1 ने अपने नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज करवाकर खुर्द बुर्द करने पर अमादा है जिसे अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका नही गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नही हो सकेगी।
- प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम दृष्ट्या ठोस तथ्यो पर आधारित है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है। शेष तथ्य बवक्त बहस मौखिक रूप से निवेदन किए जाएगे।
- अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थीण ग्राम गंदीफली तहसील लाड़पुरा स्थित खसरा नम्बर 203 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 208 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 340 रकबा 0.24 हैक्टर कुल 4 किता रकबा 0.98 हैक्टर व खसरा नम्बर 338 रकबा 0.37 हैक्टर को खुर्द बुर्द नही करे और प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे हस्तक्षेप ना करे ऐसा कृत्य न तो स्वयं और ना ही अपने किसी प्रतिनिधी से करावे।

3- न्यायालय में पेश प्रार्थना पत्र के अप्रार्थीगण की जर्ये पंजीकृत डाक तलवी नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी क्रम–1 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ किन्तु जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी क्रम–1 के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करके सीधे ही बहस किये जाने का निवेदन किया गया। फलस्वरूप प्रकरण पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई –

प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र 212 RTA के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण के दादा जगन्नाथ आत्मज घांसीलाल के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की ग्राम गंदीफली, तहसील लाडपुरा मे खसरा नम्बर 203, 204, 208, 308, 316, 338, 340, 550, 550/674, 552 कुल 10 किता की 6.45 हैक्टर आराजी स्थित है। प्रार्थीगण के दादा जगन्नाथ जी के तीन पुत्र छीतरलाल, बालकिशन, एवं सत्यनारायण व पुत्रियां रामप्यारी, रामजानकी बाई है। इनमें से छीतरलाल, जगन्नाथ और बालकिशन जी का स्वर्गवास हो गया है। बालकिशन जी के एकमात्र वारिसान प्रार्थीगण है। प्रार्थीगण के दादा जगन्नाथ जी को उक्त आराजी अपने पिता घांसीलाल जी से उत्तराधिकार मे प्राप्त हुई है व घांसीलाल जी को उनके पिता से प्राप्त होने से उक्त आराजी पैतृक आराजी है जिसमे जगन्नाथ जी के साथ साथ उनके वारिसान प्रार्थीगण का भी जन्म से ही हक अधिकार एवं काबिज काश्त है। प्रार्थीगण के दादा ने अपने जीवनकाल मे उक्त आराजी का पारिवारिक सहमति से बंटवारा कर दिया जिसमें प्रार्थीगण के पिता बालकिशन आत्मज जगन्नाथ को खसरा नम्बर 203 रकबा 0.07 हैक्टर खसरा नम्बर 204 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 208 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 340 रकबा 0.24 हैक्टर कुल 4 किता रकबा 0.98 हैक्टर व खसरा नम्बर 338 रकबा 0.37 हैक्टर आराजी प्राप्त हुई। बंटवारा के बाद से ही प्रार्थीगण के पिता एवं प्रार्थीगण उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्राथीगण के दादा के साथ अप्रार्थी क्रम–1 जो आडत का व्यापार करते है उन्होने प्रार्थीगण के दादा व परिवारजनों की बिना सहमति व जानकारी के उक्त आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली। अप्रार्थी क्रम 1 ताकतवर एवं प्रभावशाली व्यक्ति है जिसने षडयंत्र रचकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर पारिवारिक बंटवारे मे उक्त आराजी प्रार्थीगण के हिस्से मे होने के बाबजूद भी राजस्व कर्मचारियो के साथ मिलीभगत कर अपने नाम दर्ज करवा ली है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी क्रम 1 के नाम आराजी राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज होने की जानकारी होने पर वापस प्रार्थीगण के नाम दर्ज करवाने की कहा तो उन्होने से इंकार कर दिया। अप्रार्थी क्रम 1 राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज उक्त आराजी को षडयंत्र रचकर खुर्द बुर्द करने पर अमादा है जिसे अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका नही गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नही हो सकेगी। प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम दृष्ट्या ठोस तथ्यो पर आधारित है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी क्रम–1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह ग्राम गंदीफली तहसील लाड़पुरा स्थित खसरा नम्बर 203 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 208 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 340 रकबा 0.24 हैक्टर कुल 4 किता रकबा 0.98 हैक्टर व खसरा नम्बर 338 रकबा 0.37 हैक्टर को खुर्द बुर्द

नही करे और प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे हस्तक्षेप ना करे ऐसा कृत्य न तो स्वयं और ना ही अपने किसी प्रतिनिधी से करावे। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1) RLW Page 450-453 (Raj.) पेश किया गया। साथ ही, विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के ही काबिज होने के समर्थन में धनराज आत्मज रामरतन, रमेशचन्द आत्मज हीरालाल, भागचन्द आत्मज रामरतन, महेन्द्र आत्मज रामलाल, लक्ष्मीचन्द आत्मज रामकरण, विनोद कुमार आत्मज हरिवल्लभ के शपथ पत्र पेश किये गये है।

अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा जवाब न देकर प्रकरण की लिखित बहस प्रार्थना पत्र 212 RTA में निवेदन किया कि अप्रार्थी क्रम 1 ग्राम गंदीफली लाड़पुरा जिला कोटा के खसरा नम्बर 203 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 208 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 304 रकबा 0.24 हैक्टर खसरा नम्बर 338 रकबा 0.37 हैक्टर का वर्तमान मे राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी मे खातेदार व कब्जे काश्त मे है। विवादग्रस्त आराजी पूर्व खातेदार जगन्नाथ पुत्र घांसी धाकड के मुख्तार आम बालकिशन पुत्र जगन्नाथ धाकड़ से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वर्ष 2010 एवं 2011 मे अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा खरीद दिनांक 05.01.2010 व 15.04.2011 प्रार्थीगण के पिता व दादा से खरीद की है तथा खरीद दिनांक से हीउक्त आराजी अप्रार्थी क्रम–1 के ही कब्जे काश्त में है। राजस्व रिकोर्ड मे नामान्तरण संख्या 347 व नामान्तरण संख्या 463 से अप्रार्थी क्रम–1 के खाते दर्ज हो चुकी है तथा आराजी पर अप्रार्थी क्रम–1 ही काबिज काश्त है। प्रार्थीगण राजस्व रिकोर्ड मे खातेदार नही है और ना ही विवादित आराजी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे है। प्रार्थीगण व उनके पिता बालकिशन व दादा जगन्नाथ द्वारा आज दिन तक क्रय पत्र को कैन्सिल करने का कोई वाद सिविल न्यायालय मे पेश नहीं किया है जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी क्रम–1 के क्रय पत्र आज दिन तक बहाल है। अप्रार्थी क्रम 1 वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक है और आराजी पर क्रय दिनांक वर्ष 2010–2011 से वैधानिक रूप से काबिज काश्त है। ऐसी सूरत मे अप्रार्थी क्रम 1 के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती । प्रार्थीगण 1,2,3 विवादग्रस्त आराजी का खातेदार नही है। और कब्जे काश्त मे भी नही है। ऐसी सूरत मे पेश प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी क्रम 1 ने अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए गये –

1- RRD 1988, Page 703-704 (Para-8) D.B.
2- RRD 1994, Page 720-722
3- RRD 1988, Page 170-173 (H.C.) S.B.
4- RRD 2016, Page 135-138

4- हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस के कथनों पर मनन किया और नियमों, अधिनियमों, परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है विवादित आराजी पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की पैतृक आराजी है। पक्षकारान अनुसूचित जाति "मीणा जाति" के सदस्य है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा की प्राप्ति के लिये निम्न तीन शर्तो की पालना आवश्यक है :–

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

(ख) क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

उपरोक्त तीनो बिंदु व्यादेश चाहने वाले पक्षकार के पक्ष में होना आवश्यक है।

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसमें उसके समर्थन में दी गई साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके अर्थात जिस मामले में ठोस व मजबूत रूप से स्थापित हुआ कहा जा सके। इस प्रकार ऐसा मामला जिसे, यदि, विरोधी पक्ष खण्डित नहीं कर सके तो ऐसे मामले को प्रथम दृष्ट्या मामला कहा जायेगा। कोई मामला प्रथम दृष्ट्या है अथवा नहीं, इसको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। वह शपथ पत्र या अन्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है।

प्रस्तुत प्रकरण में हम पाते है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम गन्दीफली की आराजी खसरा नम्बर 203, 204, 208, 338 व 340 की आराजी पर अप्रार्थी क्रम–1 के विरूद्ध अनुतोष हेतु मूल वाद के साथ यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उक्त आराजीयात में से खसरा नम्बर 203, 204, 208 व 340 जर्ये नामान्तरकरण संख्या 347 दिनांक 05.01.2010 से तथा खसरा

नम्बर 338 की आराजी जर्ये नागान्तरकरण संख्या 463 दिनांक 05.09.2011 से अप्रार्थी क्रम–1 के खाते दर्ज हो चुकी है तथा वर्तमान में भी अप्रार्थी क्रम–1 के ही खाते दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण वर्ष 2010 व 2011 से ही विवादित आराजी के खातेदार नहीं है। बेचान के 13–14 वर्ष बाद दावा व प्रार्थना पत्र पेश करने से यह प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं है।

(ख) क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

अस्थायी निषेधाज्ञा चाहने वाले पक्षकार को सुविधा का सन्तुलन अपने पक्ष में होना, बताना पडेगा तथा प्रार्थी को दी जाने वाली सुविधा से अप्रार्थी को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिये।

प्रस्तुत प्रकरण की विवादित आराजी वर्तमान में अप्रार्थी क्रम–1 के खाते दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी पर कब्जे के सम्बन्ध में धनराज आत्मज रामरतन, रमेशचन्द आत्मज हीरालाल, भागचन्द आत्मज रामरतन, महेन्द्र आत्मज रामलाल, लक्ष्मीचन्द आत्मज रामकरण, विनोद कुमार आत्मज हरिवल्लभ के जो शपथ पत्र पेश किये गये है, उनमें अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा विवादित आराजी को षड्यन्त्र पूर्वक अपने नाम दर्ज करवाने का उल्लेख किया है लेकिन प्रार्थीगण ने पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे विक्रय पत्रों को निरस्त करवाने की कार्यवाही होना पाया जाये। विवादित आराजी प्रार्थीगण के खाते दर्ज नहीं होने तथा विवादित आराजी पर कब्जे के सम्बन्ध में कोई ठोस प्रमाण नहीं होने के कारण सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

किसी भी प्रकरण में प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर होने वाली हानि से ऐसी क्षति हो जाये जिसकी पूर्ति भविष्य में होना संभावित नहीं हो और प्रार्थी को अनेक मानसिक व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पडे तो इस प्रकार का नुकसान प्रार्थी के लिये अपूरणीय क्षति होगा।

प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी प्रार्थीगण के दादा के खाते दर्ज रहने के दौरान ही बेचान की गई है। प्रार्थीगण के दादा स्व. जगन्नाथ के खाते दर्ज कुल आराजी में से अप्रार्थी क्रम–1 को बेचान की गई आराजी के अतिरिक्त अन्य खसरा नम्बरान की आराजी का भी बेचान किया गया है। प्रार्थीगण विवादित आराजी को पैतृक आराजी होना अंकित किया है किन्तु स्व. जगन्नाथ के पिता की आराजी होने सम्बन्धी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के बेचान के विरूद्ध बेचान के वर्ष 2010–2011 से कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं किये जाने से प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति होना संभावित नहीं है।

6- उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम गन्दीफली की आराजी खसरा नम्बर 203, 204, 208, 308, 316, 338, 340, 550, 550/674, 552 कुल 10 किता की 6.45 हैक्टर प्रार्थीगण के दादा जगन्नाथ आत्मज घांसीलाल खाते दर्ज थी। इनमें से खसरा नम्बर 203, 204, 208, 340 की आराजी संवत 2063–2066 (वर्ष–2010) में अप्रार्थी क्रम–1 को तथा खसरा नम्बर 338 की आराजी संवत 2067–2070 (वर्ष 2011) में पुनः अप्रार्थी क्रम–1 को बेचान की गई। उक्त बेचान के आधार पर विवादित आराजी तत्समय ही क्रेतागण के खाते दर्ज हो चुकी है। विवादित आराजी को खातेदार जगन्नाथ पुत्र घांसी (स्वयं) द्वारा ही बेचान किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी को पैतृक आराजी सम्बोधित किया है किन्तु आराजी के पैतृक होने सम्बन्धी कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है। प्रार्थीगण द्वारा बेचान के 13–14 वर्ष बाद यह दावा व प्रार्थना पत्र पेश किये जाने के कारण यह प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं है। विवादित आराजी प्रार्थीगण के खाते दर्ज नहीं होने तथा कब्जा साबित नहीं होने के कारण सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। अतः स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

7- निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 28 अगस्त, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/8/24

(आशा कुमारी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा